(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रणाली के कारण जहां अनेक राज्यों से भर्ती नहीं हो पा रही है वहीं दूसरी ओर अन्य राज्यों के युवकों को, जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, भर्ती नहीं किया जा रहा है, जिससे सेना में सैनिकों एवं अधिकारियों की अभूतपूर्व कमी हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा सरकार इस त्रुटि को दूर करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): (क) से (घ) सेना में सैनिकों की भर्ती प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या (आर०एम०पी०) की संकल्पना के आधार पर उन्हें आबंटित रिक्तियों के अनुसार की जाती है।

भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या (आर०एम०पी०) का आशय देश की 16—25 आयु वर्ग की उस पुरुष जनसंख्या से है जो निर्धारित गुणात्मक अपेक्षाएं अर्थात् शिक्षा, शारीरिक और चिकित्सीय मानदंड पूरी करती है। भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या सामान्यतः देश की पुरुष जनसंख्या का 10% मानी जाती है। राज्यवार भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिए)**। भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या पर आधारित भर्ती की यह पद्धति यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि आजादी के बाद, सेना में समस्त भारत से सभी वर्गों के लोगों को भर्ती करने की सरकार की नीति का उद्देश्य पूरा किया जा सके।

हालांकि, राज्यों को अपने-अपने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से भर्ती के लिए रिक्तियां आबंटित कर दी जाती हैं, परंतु अनुभव से पता चलता है कि कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भर्ती कम होती है। इसके परिणामस्वरूप सेना प्राधिकारी अक्तूबर-नवंबर के दौरान वर्ष की मध्यावधिक समीक्षा करते हैं और तद्नुसार कम भर्ती करने वाले राज्यों से न भरी गई रिक्तियां समायोजित करके अधिक भर्ती करने वाले राज्यों को आबंटित कर दी जाती हैं ताकि शत-प्रतिशत भर्ती लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। अतः शुरू में कम भर्ती करने वाले राज्यों को आबंटित रिक्तियों के न भरे जाने को सेना में मौजूदा कमी का कारण नहीं माना जा सकता है।

विवरण

1991 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न राज्यों की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या

क्रम सं०	राज्य	जनसंख्या	भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	3372458	7.68%
2.	असम	1165799	2.65%
3.	अरुणाचल प्रदेश	46500	0.11%
4.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	15437	0.04%
5.	बिहार	4520208	10.29%
6.	चंडीगढ़	35861	0.08%
7.	दिल्ली	515551	1.17%
8.	दमन तथा दीव	5160	0.01%
9.	दादर तथा नगर हवेली	7095	0.02%
10.	गुजरात	2135521	4.86%
11.	गोवा	59479	0.14%
12.	हरियाणा	882747	2.00%
13.	हिमाचल प्रदेश	261747	0.60%
14.	जम्मू तथा कश्मीर	401410	0.91%
15.	कर्नाटक	2295191	5.23%
16.	केरल	1428898	3.25%
17.	लक्षद्वीप	2641	0.01%
18.	महाराष्ट्र	4082562	9.30%
19.	मध्य प्रदेश	3426729	7.80%
20.	मणिपुर	93836	0.21%
21.	मेघालय	90769	0.21%
22.	मिजोरम	35898	0.08%
23.	नागालैंड	64128	0.15%
24.	उड़ीसा	1606415	3.66%
25.	पंजाब	1077803	2.45%
26.	पांडिचेरी	40808	0.09%
27.	राजस्थान	2304278	5.25%
28.	सिक्किम	21643	0.05%
29.	तमिलनाडु	2829898	6.44%
30.	त्रिपुरा	141793	0.32%
31.	उत्तर प्रदेश	7403696	16.86%
32.	पश्चिम बंगाल	3551063	8.08%

Central Directives to beef up security around oil refineries

*212. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Union Home Ministry have directed the Assam Government to

beef up security around the oil refineries in the State;

(b) if so, whether ULFA militants want to destroy the oil refineries there;

(c) whether the Union Government have provided any help to the State Government to face the threat; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI INDRAJIT GUPTA): (a) Yes Sir.

(b) There is a report to that effect.

(c) and (d) The Government is aware of the situation in the State and the same is under constant watch and close review. The State Government and the Ministry of Petroleum, have been duly sensitized. Regular review of security of these installations is being taken and necessary measures have been taken.

Demand for Telephone in Hill Districts of Uttar Pradesh

*213. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the answer to the Starred Question 352 given in the Rajya Sabha on the 20th December, 1995, and State:

(a) whether the study has also covered the Lansdown-Rikhnikhal-Beeronkhal Motor Road area;

(b) if so, whether there is heavy demand for telephone from the public in this area; and

(c) what steps are being taken to provide telephone lines in this area at the earliest?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) There is no heavy demand in these areas. However, plans have been made to provide telephone lines by expanding the exchange at Landsdown and opening a new exchange 128 P C-DOT at Rikhnikhal during 1997-98.

काली सूची में शामिल दूर-संचार फर्मों के विरूद्ध कार्रवाई

*214. श्री नागमणि: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने काली सूची में शामिल दूरसंचार फर्मों के विरूद्ध कोई कार्रवाई आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इन फर्मों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या है; और

(ग) इन फर्मों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) कुछ फर्मों के व्यापारिक कार्यकलापों पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई शुरू की गयी है।

(ख) विवरण में दी गयी सूचना के अनुसार **(नीचे देखिए)**।

(ग) विभाग द्वारा एक जांच अधिकारी नामित किया गया है। इन फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं तथा उनके द्वारा दिए उत्तर विचाराधीन हैं।

विवरण

फर्मों की सूची जिनके विरूद्ध व्यापार गतिविधियों पर रोक लगाए जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

1. मै० स्टरलाइट इंडस्ट्रिज (इंडिया) लिमिटेड,
   903-905, टॉल्सटाय हाउस,
   टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली 110001.
2. मै० बिरला इरिक्सन आप्टिकल लि०,
   डाकघर-चोरहाट, उद्योग विहार,
   रीवां-486006, (मध्य प्रदेश)
3. मै० हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्यूनिकेशन लि०,
   8-कॉमर्सियल कंप्लेक्स, मस्जीद मोथ,
   ग्रेटर कैलास-11, नई दिल्ली 110048.
4. मै० भिलाई वायर्स लि०,
   (आप्टिकल फाइबर केबल डिविजन),
   के-33, बालाजी स्टेट के सामने
   कालकाजी, नई दिल्ली।
5. मै० आकाश इंडिया लि०,
   9-डी, आत्माराम हाऊस,
   टाल्सटाय मार्ग,
   नई दिल्ली 110001.